FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District

(जिला):

ACB DISTRICT

P.S.

C.P.S Jaipur (थाना):

Year

2024 (वर्ष):

2. FIR No.

(प्र.स.रि.सं):

0046

Date and Time of FIR

(गफ्आईआर की तिथि/समय):

16/03/2024 18:00 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts	Sections
	(अधिनियम)	(धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): शुक्रवार

Date From

(दिनांक से):

15/03/2024

Date To

(दिनांक तक):

(समय तक):

15/03/2024

Time Period

(समय अवधि):

पहर

Time From

09:38 बजे

Time To

18:28 बजे

(समय से):

Time

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

(दिनांक):

Date

16/03/2024

(समय):

17:30 बजे

(c) General Diary Reference

(रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.):

001

Date & Time

(दिनांक एवं समय)

16/03/2024 18:00:42 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार):

लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):

WEST, 30 किमी

Beat No.

(बीट सं.):

NOT APPLICABLE

(b) Address (पता): Tahsel office Navalgarh, District Jhunjhunu

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S

District(State)

(थाना का नाम):

(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): Maniram Urf Manoj

(b) Father's Name (पिता का नाम): Shishupal

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):

1982

(d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

- (h) Occupation (व्यवसाय):
- (i) Address(पता):

S.No. (Address Type	Address
सं.)	(पता का प्रकार)	(पता)
1	वर्तमान पता	Navldi, NAWALGARH, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Navldi, NAWALGARH, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

91-7597409962

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No.	Name	Alias	Relative's Name	Address
(क्र.सं.)	(नाम)	(उपनाम)	(रिश्तेदार का नाम)	(पता)
1	Swapan Kumar Ray		पिता:Late Bijan Kumar Ray	1. 8,PURBACHAL SCHOOL ROAD,PO-HALTU,कस्बा,24 परगना दक्षिण,पश्चिम बंगाल,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

		Property Type (सम्पत्ति		Value(In Rs/-)
(क्र.स.)	(सम्पत्ति श्रेणी)	के प्रकार)	(विवरण)	(मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

50,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. UIDB Number (क्र.सं.) (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय जी, निवेदन है कि दिनांक 15.03.2024 को 09.38 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास मोबाईल नम्बर 8000875288 से मेरे मोबाईल नम्बर 9414085086 पर फोन आया व बताया कि मेरा नाम मनीराम है। पश्चिम बंगाल से पुलिस आई हुई है जो मुझे बलात्कार के मुकदमें गिरफ्तार करने के लिए आई हुई है। मुझे कल दिनांक 14.03.2024 को पुलिस थाना नवलगढ में बुलाया था। पश्चिम बंगाल पुलिस वालो ने मुझे गिरफ्तार नही करने की एवज में एक लाख रुपये रिश्वत मांग रहा है। जिन्हे मै रिश्वत नही देना चाहता हॅू बल्कि मै बंगाल पुलिस से आये हुये पुलिस अधिकारी को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हॅू। परिवादी ने बताया कि मै झुंझुनूं नही आ सकता हॅू। परिवादी ने बताया कि मै बस स्टेण्ड नवलगढ के पास मिल जाउंगा। जिस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने कानि0 ईशाक मौहम्मद को परिवादी के मोबाईल नम्बर देकर मय डिजिटल टेप रिकार्डर, मैमोरी कार्ड के नवलगढ के लिए समय 9.55 ए. एम पर निजी मोटर साईकिल से रवाना किया। मन् अतिरिक्त पुलिस मय श्री सुभाष चन्द सउनि, त्रिलोक सिंह हैड कानि 155, सरकारी वाहन चालक श्री सुरेन्द्र कुमार के रवाना हो नवलगढ बस स्टेण्ड के पास पहुच परिवादी से सम्पर्क किया गया । परिवादी बस स्टेण्ड के पास उपस्थित मिला। परिवादी ने अपना नाम मनोज उर्फ मनीराम पुत्र श्री शिशुपाल जाति माली उम्र 42 साल निवासी नवलडी पुलिस थाना नवलगढ जिला झुंझुनूं होना बताया व परिवादी ने एक लिखित प्रार्थना पत्र मय 41(A) नोटिस की फोटो कॉपी प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया कि सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी झुंझुनूं विषय ट्रेप कार्यवाही कराने बाबत। महोदय उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि मेरे खिलाफ प्रकरण संख्या 36/2024 पुलिस थाना नेहती पश्चिम बंगाल में दर्ज है। उक्त प्रकरण मे पश्चिम बंगाल से श्री स्वपन कुमार उप निरीक्षक आया हुआ है। जिसने कल मुझे नवलगढ थाने पर बुलाया। मै व मेरा भाई गये थे उसने मेरे भाई गिरधारी लाल को एक 41(A) का नोटिस दिया। मेरे को साईड में लेजाकर स्वपन कुमार उप निरीक्षक ने कहा कि मै तुझे गिरफ्तार नही करुंगा आप मुझे एक लाख रुपये लाकर दे दो। मैने उनसे कहां कि मेरे पास इतने रुपये नही है फिर भी उन्होने मेरे से एक लाख रुपये रिश्वत की मांग की है। मै उनको रिश्वत नही देना चाहता हॅू। रिश्वत देते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हॅू। मेरी उनसे कोई रंजिश नही है। ना ही कोई उधारी लेन देन है। प्रार्थना पेश कर रहा हॅू। उचित कार्यवाही करें। एसडी मनीराम मो0न0 8000875288" परिवादी से मजीद दरियाफ्त करने पर बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे स्वयं हस्तलिखित है। मामला रिश्वत मांग का बनना पाया जाने पर कानि ईशाक मौहम्मद न0 40 व परिवादी श्री मनीराम को मय डिजिटल टेप रिकार्डर, मैमोरी कार्ड के वास्ते गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री सुभाष चन्द सउनि, त्रिलोक सिंह हैड कानि 155, सरकारी वाहन चालक श्री सुरेन्द्र कुमार नवलगढ से ए.सी.बी. चौकी के लिए रवाना हुआ।कानि0 ईशाक मौहम्मद ने जरिये दुरभाष बताया कि मैने परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोर कार्ड चालु कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु श्री स्वपन कुमार उप निरीक्षक के पास कोर्ट परिसर में भिजवाया जो वापस आने पर परिवादी से डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त की। परिवादी ने बताया कि श्री स्वपन कुमार उप निरीक्षक ने मेरे से 60,000/रुपये रिश्वत की मांग की है तथा एक कागज पर लिख भी दिया है। जिस पर कानि0 ईशाक मौहम्मद को परिवादी को साथ लेकर एसीबी कार्यालय में आने कि हिदायत की तथा जरिये मोबाईल श्री श्योपाल हैड कानि को दो स्वतंत्र गवाह लाने की हिदायत की गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री सुभाष चन्द सउनि, त्रिलोक सिंह हैड कानि 155, सरकारी वाहन चालक श्री सुरेन्द्र कुमार ए.सी.बी. चौकी पर उपस्थित आये। कानि0 अली हुसैन न0 573 जरिये तहरीर दो स्वतंत्र गवाहान श्री बजरंग लाल कानिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन सरंक्षक झुंझुनूं व श्री महेन्द्र सिंह, सिपाही ई0पी0एफ0, कार्यालय आबाकारी वृत झुंझुनूं लेकर आया। समय 01.10 पी.एम. पर कानि ईशाक मौहम्मद न0 40 व परिवादी श्री मनीराम उपस्थित आये। कानि0 ईशाक मौहम्मद ने डिजिटल टेप रिकार्डर मय एक लाल रंग का कागज सुबोघ पब्लिक स्कुल इंगलिश मिडियम दर्जनपुरा रोड नवलगढ की रसीद जिसके पीछे 60 व SIXTY लिखा हो पेश कर बताया कि मै व परिवादी कोर्ट परिसर के पास पहुचे तो परिवादी के पास उसके भाई का फोन आया है कि बंगाल पुलिस के आये हुए स्वपन कुमार कोर्ट परिसर में बैठे है। तब मैने फर्द सपुर्दगी डिजिटल टेप रिकार्डर की फर्द बनाकर परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर चलाने व बन्द करने की विधि समझा कर डिजिटल टेप रिकार्डर में मैमोरी कार्ड डालकर सुना गया तो उसमें कोई आवाज नही थी। डिजिटल टेप रिकार्डर चालु कर परिवादी को सुपूर्द कर कोर्ट परिसर में रिश्वत मांग की वार्ता करने हेतु भेजा। कुछ समय बाद परिवादी कोर्ट परिसर से बाहर

आने पर डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर ली व जरिये दुरभाष आपको अवगत कराया था। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी ने बताया कि मै डिजिटल टेप रिकार्डर लेकर श्री स्वपन कुमार के पास गया तथा उनसे मिला तो उन्होने मुझे मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमें में मामला रफा दफा करने की एवज में 60,000 /रुपये रिश्वत के मांगे है तथा एक लाल कागज पर 60 व SIXTY लिखकर दिया। परिवादी ने यह बताया कि श्री स्वपन कुमार मेरे से रिश्वत राशि आज ही लेगा। मेरे पास 60 हजार रुपये की व्यवस्था नही हुई है। मेरे पास 50 हजार रुपये की व्यवस्था हुई है जो मै साथ लेकर आया हॅ्र। डिजिटल टेप रिकार्डर को चला कर सुना गया तो कानि ईशाक मौहम्मद व परिवादी द्वारा बताई गई बातो की पृष्टी होना पाया गया। परिवादी का प्रार्थना पत्र व डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कोर्ड को सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री मनोज उर्फ मनीराम का दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री बजरंग लाल कनिष्ठ सहायक व श्री महेन्द्र सिंह सिपाही से आपस में परिचय करवाया तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व दिखाया तथा अब तक की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान से कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने की सहमती प्राप्त की गई। परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। निर्देशानुसार परिवादी श्री मनीराम को रिश्वत में दिये जाने वाले रूपये पेश करने को कहा तो परिवादी ने अपने पास से 50,000/- रूपये भारतीय मुद्रा के पॉच-पॉच सौ रूपये के 100 नोट कुल 50,000/- रूपये पेश किये जिनके नम्बरों का विवरण फर्द में अंकित करवाये गये। कार्यालय कक्ष का छत पंखा बन्द करवाकर उक्त नोटो पर श्रीमती सुमित्रा महिला कानि0 511 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर मंगवाकर अखबार के उपर सभी नोटो पर हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री बजरंग लाल से परिवादी श्री मनीराम की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 50,000/- रूपये के नोट श्रीमती सुमित्रा महिला कानि0 न0 511 से परिवादी की पहनी हुई सर्ट की आगे की बाई जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी श्री मनीराम को हिदायत दी गई तथा तय ईशारे की समझाईस की गई। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को वापस श्रीमती सुमित्रा महिला कानि0 से कार्यालय की अलमारी में रखवाई गई। दोनों गवाहान को भी आवश्यक हिदायत दी गई। प्रदर्षन करवाकर दोनों पाउडरों की आपसी प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व दोनों गवाहान को समझाया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजेबल गिलास के रंगीन घोल को बाहर फिकवाया गया। डिस्पोजेबल गिलास व अखबार जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था को जलाकर नष्ट किया गया। पानी व साबुन से श्रीमती सुमित्रा महिला कानि0, परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व सभी ट्रेप पार्टी सदस्यो के हाथ धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन लिए जाने हेतु काम में लिए जाने वाले प्लास्टिक के डिस्पोजेबल गिलास कुल नग 10 व कॉच की शीषियों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुए ट्रेप बॉक्स तैयार करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनियता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत् समझाईस कर मुनासिब हिदायत दी गई। कार्यालय की डिजीटल टेप मय मैमोरी कार्ड को चलाकर देखा गया जिसमें कोई आवाज नहीं है, उक्त डिजीटल टेप मय मैमोरी कार्ड रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु परिवादी श्री मनीराम को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक इस्माईल खान मय श्री सुभाष चन्द सउनि, कानि0 ईशाक मौहम्मद न0 40, स्वतंत्र गवाह श्री बजरंग लाल परिवादी श्री मनोज उर्फ मनीराम मय डिजिटल टेप रिकार्डर व मैमोरी कार्ड प्राईवेट वाहन तथा श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि, श्री सुनील कुमार कानि, श्री अली मौहम्मद कानि, कुमार सानु कानि, सरकारी वाहन चालक मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप प्रिन्टर के वास्ते गोपनीय कार्यवाही हेतु बस स्टेण्ड नवलगढ के पास पहुचे। परिवादी श्री मनीराम के मोबाईल नम्बर 8000875288 से आरोपी श्री स्वपन कुमार राय के मोबाईल नम्बर 9830479792 पर वार्ता करवाई तो बताया कि मै बाहर गया हुआ हॅ्र, घण्टे भर बाद आ रहा हॅ्र। परिवादी ने बताया कि श्री स्वपन कुमार राय तहसील कार्यालय के सामने होटल में रुका हुआ है। स्वपन कुमार राय मेरे से दो-तीन बार बात करने के लिए तहसील कार्यालय में मिला था अब भी वह तहसील कार्यालय में आयेगा। जिस पर हम सभी ट्रेप पार्टी सदस्य आरोपी के आने के इंतजार में आस-पास में मुकिम हुये। समय 05.40 पी.एम. पर कानि0 ईशाक मौहम्मद एवं परिवादी श्री मनीराम को मय डिजिटल टेप रिकार्डर व मैमोरी कार्ड के वास्ते आरोपी श्री स्वपन कुमार राय से रिश्वत संबधि बातचीत करने हेत् तहसील कार्यालय के लिए रवाना किया गया। हम सभी परिवादी के मुकर्रर ईशारे के इंतजार में मुकिम हुये।समय करीब 06.28 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी का मुर्करर तय ईशारा प्राप्त होने पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान को साथ लेता हुआ तहसील परिसर में पीछे की तरफ बने हुये पेशाब घर के पास बाहर गलियारे में परिवादी व उसके पास एक व्यक्ति खडे हुये मिले। परिवादी ने डिजीटल टेप रिकॉर्डर सुपूर्द करते हुये उस व्यक्ति की तरफ हाथ का ईशारा करते हुये बताया कि यही स्वपन कुमार थानेदार है जिन्होने मेरे से अभी अभी पाउडर लेगे 50 हजार रुपये लिए है तथा मेरे से पूछा कि कितने रुपये लेकर आये हो तब मैने कहा की 50 हजार रुपये है। तब स्वपन कुमार ने कहा कि पांच हजार रुपये और लेकर आओ। स्वपन कुमार ने 50 हजार रुपये रिश्वत राशि अपने दाहिने हाथ से लेकर छोटा साईड बैग के अन्दर जेब में रख लिये है। जिस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने उस व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये उसका परिचय व परिवादी से रिश्वती राशि लेने के बारे में पूछा तो उसने घबराते हुये अपना नाम श्री स्वपन कुमार राय, उप निरीक्षक, पुलिस

थाना नेहेटी, बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट, पश्चिम बंगाल होना बताया व रिश्वती राशि के बारे में पूछने पर श्री स्वपन कुमार ने बताया कि मैने पैसे नही लिये है। मनीराम उर्फ मनोज ने मुझे अपने विरुद्ध दर्ज मुकदमे को रफा दफा करने के लिए दिये है व मांग सत्यापन के दौरान आरोपी ने गुलाबी रंग के कागज पर 60 तथा अग्रेजी में SIXTY लिखा था जिस पर श्री स्वपन कुमार ने बताया कि यह मेरे द्वारा नही लिखे गये है। आरोपी ने बताया कि रिश्वत राशि के 50 हजार रुपये मेरे साईड के छोटे बैग में रखे है। परिवादी ने आरोपी की बातो का खण्डन करते हुये बताया कि स्वपन कुमार जी झुठ बोल रहे है। कल इन्होने मुझे नवलगढ पुलिस थाने में बुलाया था। मै मेरे भाई गिरधारी लाल के साथ थाने में गया तब स्वपन कुमार जी ने बताया कि मेरे विरुद्ध प्रकरण संख्या 36/2024 पुलिस थाना नेहेटी में बलात्कार का दर्ज है। जिसमें मेरे नाम का धारा 41(A) का नोटिस मेरे भाई को दिया। मुझे साईड में लेजाकर स्वपन कुमार ने मुकदमें में गिरफ्तार नही करने की एवज में एक लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी। आज सुबह सत्यापन के दौरान मेरे से स्वपन कुमार जी ने 60 हजार रुपये मांगे थे तब उन्होने अपने हाथ से गुलाबी कागज पर 60 और SIXTY अपने हाथ से लिखे है। परिवादी ने बताया कि मैने मांग के अनुशरण में आज श्री स्वपन कुमार राय को 50 हजार रुपये इनको दिये है, जिन्होने रिश्वत राशि 50 हजार रुपये अपने दाहिने हाथ से लेकर अपने पास साईड के छोटे बैग में रखे है। आरोपी के पास जो बैग है उसकी चैन खुली हुई थी जिसमें पांच-पांच सौ रुपये के नोटो की थई दिखाई दे रही थी। बैग को गवाह श्री बजरंग लाल को सम्भलाया गया। रिश्वती राशि लेने की पुष्ठि होने पर श्री अली हुसैन कानि0 से आरोपी का बाया हाथ तथा सुनील कुमार कानि से आरोपी का दाहिना हाथ कलाईयो से उपर से पकड़वाया गया। मौके पर लिखापढी की कार्यवाही करने के लिए फर्नीचर, लाईट आदि की व्यवस्था नही होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से आरोपी को हुबहु स्थिति में सरकारी गाडी में बिठाकर पुलिस थाना नवलगढ पहुचे। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। श्री कुमार सानु के दोनो हाथों एवं दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासो को पानी व साबुन से धुलवाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जो उपस्थितगणों ने रंगहीन होना बताया जिसमें से एक गिलास में आरोपी श्री स्वपन कुमार राय उप निरीक्षक के बायें हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला तथा दूसरे गिलास में आरोपी के दाहिने हाथ के अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का झांई दार गुलाबी हो गया, जिनको दो-दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरकर सील चिट कर जिन पर क्रमशः मार्क L-1, L-2 एवं R-1,R-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कब्जा एसीबी लिया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को जलाकर नष्ट किया गया। तत्पश्चात रिश्वती राशि आरोपी के छोटे साईड बैग में रखी हुई को गवाह श्री बजरंग लाल से निकलवाकर गिनवाई गई तो पांच पांच सौ रुपये के 100 नोट कुल 50,000 रुपये होना बताया। बरामद रिश्वती राशि दोनो गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी नोट से नोटो के नम्बरो का मिलान करवाया गया तो नोटो के नम्बर मुताबिक फर्द हुबहु पाये गये। रिश्वती राशि के रूपयों के नम्बरों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -2TM 928109 2. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -2EV 974988 3.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -3MH 358464 4.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8AF 915818 5.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -6EN 258608 6.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -2MC 650523 7.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -1UV 095719 8.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9KG 469939 9.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0WM 410701 10.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -5CT 202381 11.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -6BP 422222 12.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9BA 468138 13.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9KD 334338 14.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7 HL 648395 15.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0HF 153139 16.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8AQ 614557 17.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -5FB 932552 18.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0LQ 390787 19.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9BV 097482 20.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -1HT 782113 21.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7PA 048477

22.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -2LA 963362

23.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9VC 720625 24.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -5PN 279281 25.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -1AP 092606 26.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -6NU 523249 27.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7CR 926684 28.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7AM 182184 29.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9SR 988314 30.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -2AP 110568 31.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -1RT 085634 32.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -4MC 207030 33.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9NS 833688 34.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9AD 362024 35.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9AH 096261 36.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -2GU 835001 37.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9EH 332733 38.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9CR 407423 39.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -5VT 150162 40.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7CG 186313 41.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8SF 333717 42.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -3QB 396992 43.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9RR 229421 44.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -5DV 052157 45.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -1DH 310418 46.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7BB 697690 47.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -6AH 498502 48.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0RQ 092091 49.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -5HL 389199 50.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -3UL 70522 51.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -3AR 141232 52.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -2EU 126631 53.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -4MC 283217 54.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -6DC 320685 55.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9DT 823949 56.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -1SD 917116 57.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0KT 775351 58.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -1MK 033283 59.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -5CS 995150 60.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -4FR 525445 61.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9PC 006956 62.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -1AF 078571 63.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0AQ 646977 64.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -4FT 067527 65.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0NP 887525 66.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7RD 315125 67.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8MW 967091 68.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -1VN 750924 69.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -4PW 808634 70.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0MG 425955

71.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -1HH 854199 72.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -5WE 564729 73.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7TU 182668 74.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7TU 182654 75.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7TU 182657 76.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7TU 182660 77.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7TU 182661 78.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7TU 182662 79.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7TU 182663 80.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7TU 182664 81.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7TU 182667 82.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0RV 059432 83.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7TU 182666 84.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8RS 259939 85.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -3HK 607009 86.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0RF 622850 87.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -3BS 729032 88.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -2VH 751350 89.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0AS 626012 90.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -3EP 690277 91.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -5RB 319719 92.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8DH 955052 93.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7HT 631593 94.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7WH 122266 95.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -3NC 303967 96.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -4FM 998032 97.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0SN 089305 98.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0CN 786036 99.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8GF 630887 100 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर -8AB 992173

जिनके नम्बर फर्द में अंकित किए गये। बरामद शुदा रिश्वत राशि 50,000 रूपयों के नोटो को एक सफेद कागज में सीलवाकर सील्ड मोहर कर नोटों के कागज पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिये गये। तत्पश्चात कानि. सुनील कुमार के दोनो हाथ एवं एक एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास, कांच की दो शिशिया को पानी व साबुन से धुलवाकर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जो उपस्थितगणों ने रंगहीन होना बताया। साईड के छोटे बैग बरंग काला का अवलोकन किया गया जिसमें आगे की तरफ अग्रेजी में PB BALCON लिखा हुआ है। बैग के चार जेब है। बैग के आगे की जेब बिना चैन की तथा तीन जेब चैन लगी हुई है। आगे की जेब खाली है। दुसरी जेब से रिश्वत राशि बदामद हुई है। तीसरी जेब चैन लगी हुई जिसमें रखा सामान खाली करवाया गया। चैन लगी हुई दुसरी जेब जिसमें रिश्वत राशि बदरामद हुई है को उलटवाकर रंगहीन घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसको दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरकर सील चिट कर जिन पर क्रमशः मार्क HB-1, HB-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कब्जा एसीबी लिया गया एवं प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को नष्ट करवाया गया। बैग में रखी रिश्वत राशि जिस जेब से बरामद हुई है उस जेब के अंदर संबधित के हस्ताक्षर करवाकर बैग बरंग काला को एक सफेद कपडे की थैली में शिल्ड कर मार्क A अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी मनीराम उर्फ मनोज कुमार के कार्य के बारे में श्री स्वपन कुमार राय से पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि मनीराम उर्फ मनोज के विरुद्ध पुलिस थाना नेहेटी में प्रकरण संख्या 36/2024 धारा 417, 420, 376 भादस में दर्ज है जिसका मै अनुसंधान अधिकारी हॅू। उक्त प्रकरण के अनुसंधान के क्रम पुलिस थाना नवलगढ में कल दिनांक 14.03.2024 को रिपोर्ट की थी। कल नवलगढ पुलिस थाना के मार्फत मनीराम उर्फ मनोज को बुलाया था उसके साथ उसका भाई श्री गिरधारी लाल भी आया था। मैने प्रकरण में श्री मनीराम उर्फ मनोज का धारा 41(A) का नोटिस मनीराम के भाई श्री गिरधारी लाल से तामिल करवाई थी। प्रकरण से संबंधित पत्रावली मै जिस होटल में रुका

हुआ हॅू उसका नाम अपना होटल है जो तहसील कार्यालय के सामने है उसके कमरे में रखी हुई हैं जो पृथक से शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही में प्रार्दश सील करने में काम में ली गई पीतल की ब्राशसील पीतल नं. 22 का नमूना तीन कागजों पर अलग से लिया जाकर उन पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर एक कागज नमूना ब्राशसील पीतल नं. 22 गवाह श्री बजरंग लाल को सुपुर्द की गई। आरोपी श्री स्वपन कुमार राय, उप निरीक्षक, पुलिस थाना नेहेटी, बैरकपुर पुलिस कमिषनरेट, जिला 24 उत्तर परगना, पश्चिम बंगाल को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। परिवादी श्री मनीराम उर्फ मनोज द्वारा आरोपी श्री स्वपन कुमार राय उप निरीक्षक की दिनांक 15.03.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है । उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को श्री ईशाक मौहम्मद कानि. 40 से दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में मैमोरी कार्ड से लैपटोप के माध्यम से तीन सीडी तैयार की गई। एक सीडी को एक सफेद कपडे की थैली में शिल्ड कर मार्क बी अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दोनो सीडी आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को गवाहान व परिवादी के समक्ष सुना जाकर रिकार्ड वार्तालाप के रूपान्तरण की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्तालाप में परिवादी श्री मनीराम उर्फ मनोज ने एक आवाज स्वयं की व एक आवाज आरोपी श्री स्वपन कुमार राय उप निरीक्षक की आवाजों की पहचान की। डिजीटल टेपरिकार्डर से मैमोरी कार्ड को निकालकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर शिल्ड कर मार्क बी-1 अंकित किया गया, पैकेट पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर गये। शिल्ड पैकेट मार्क बी, बी-1 व खुली सीडी को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। विस्तृत फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी द्वारा आरोपी श्री स्वपन कुमार राय उप निरीक्षक की दिनांक 15.03.2024 को रिश्वत लेन देन वार्ता सत्यापन वार्ता कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है। उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को श्री ईशाक मौहम्मद कानि. 40 से दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में मैमोरी कार्ड से लैपटोप के माध्यम से तीन सीडी तैयार की गई। एक सीडी को एक सफेद कपडे की थैली में शिल्ड कर मार्क सी अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दोनो सीडी आरोपी व अन्वेषण हेत् खुली रखी गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को गवाहान व परिवादी के समक्ष सुना जाकर रिकार्ड वार्तालाप के रूपान्तरण की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्तालाप में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व एक आवाज आरोपी श्री स्वपन कुमार राय उप निरीक्षक की आवाजों की पहचान की। डिजीटल टेपरिकार्डर से मैमोरी कार्ड को निकालकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर शिल्ड कर मार्क सी-1 अंकित किया गया, पैकेट पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर गये। शिल्ड पैकेट मार्क सी, सी-1 व खुली सीडी को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। विस्तृत फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। बाद कार्यवाही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान व ट्रेप पार्टी सदस्य व गिरफ्तारश्दा आरोपी श्री स्वपन कुमार उप निरीक्षक, मय जप्तश्दा माल वजह सबुत मय ट्रेप बाक्स, प्रिन्टर, लेपटॉप सरकारी व प्राईवेट वाहन से पुलिस थाना नवलगढ़ से रवाना हो झुंझुनूं पहुचे। दिनांक 16.03.2024 को परिवादी की निषादेही से हालात नक्षा मौका व घटनास्थल स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। श्री सुरेश चन्द पुलिस निरीक्षक एसीबी सीकर आरोपी के होटल के कमरा न0 509 की खाना तलाशी मय प्रकरण संख्या 36/2024 पुलिस थाना नेहेटी की पत्रावली पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री स्वपन कुमार राय पुत्र श्री स्व0 श्री बिजन कुमार राय 8 पूर्वांचल स्कुल रोड़, पोस्ट आफिस हरथ्, पुलिस थाना गरफा, 24 दक्षिण परगना, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल हाल उप निरीक्षक, पुलिस थाना नेहेटी, बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट, जिला 24 उत्तर परगना, पश्चिम बंगाल द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री मनीराम उर्फ मनोज पुत्र श्री शिशुपाल सैनी जाति माली, उम्र 42 साल निवासी नवलडी, पुलिस थाना नवलगढ जिला झुंझुनुं के विरुद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 36/2024 धारा 417, 420, 376 भादस पुलिस थाना नेहेटी, बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट, पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार नही करने तथा प्रकरण को रफा दफा करने की एवज में एक लाख रुपये रिश्वत की मांग कर दिनांक 15.03.2024 को मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 60 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत मांग के अन्शरण में दिनांक 15.03.2024 को आरोपी श्री स्वपन कुमार राय, उप निरीक्षक को परिवादी श्री मनीराम उर्फ मनोज से 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री स्वपन कुमार राय पुत्र श्री स्व0 श्री बिजन कुमार राय, उम्र 45 साल, जाति नमोषुद्र निवासी 8 पूर्वांचल स्कुल रोड़, पोस्ट आफिस हरथु, पुलिस थाना गरफा, 24 दक्षिण परगना, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल हाल उप निरीक्षक, पुलिस थाना नेहेटी, बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट, जिला 24 उत्तर परगना, पश्चिम बंगाल का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट चाक की जाकर क्रमांकन हेत् सी.पी.एस. एसीबी जयपुर को प्रेषित है। (इस्माईल खान) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं।.....कार्यवाही पुलिस.... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री इस्माईल खान, अतिरिक्त पलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, झुन्झुनूं ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री स्वपन कुमार राय पुत्र स्व.श्री बिजन कुमार राय, निवासी 8, पूर्वांचल स्कूल रोड, पोस्ट आफिस हरथ्, पुलिस थाना गरफा, 24 दक्षिण परगना, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, हाल उप

निरीक्षक, पुलिस थाना नेहेटी, बैरकपुर पुलिस किमश्नरेट जिला 24, उत्तर परगना, पश्चिम बंगाल के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 46/2024 उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री रिवन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को सुपुर्द कर नियमानुसार जारी की गई। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 148 पर अंकित है।(विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। क्रमांक 220-23 दिनांक 16.3.2024 प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-2, जयपुर। 2-पुलिस उप आयुक्त (मुख्यालय), बैरकपुर पुलिस आयुक्तालय, पंश्चिम बंगाल। 3-पुलिस अधीक्षक,भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

बंगाल। 3-पुलिस अधीक्षक,भष्टाचार निरोध पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,भ्रष्टाचार निरोध		त पुलिस अधीक्षक	, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुंझुनूं।
13. Action taken : Since the above in (की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से		•	
(1) Registered the case and took u	p the investigation (प्रकर	ण दर्ज किया गया	
(2) Directed (Name of LO):	Davindra Sinah	Donk	or (या)
(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):	Ravindra Singh Shekhawat	Rank (पद):	उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक
No(सं.): to take ।	up the Investigation (को	जाँच अपने पास ग	में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)
(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :			
or (के कारण इंकार किया, या)			
(4) Transferred to P.S.(थाना):		District (जि	ला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधि	वेकार के कारण हस्तांतरित).		
F.I.R.read over to the complainant/ir complainant/informant free of cost.	nformant, admitted to be c	orrectly recorde	ed and a copy given to the
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ व R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)	तर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना	और एक प्रति निःश्	ल्क शिकायतकर्ता को दी गई)
14. Signature/Thumb impression of the (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अ	e complainant / informant गूठे का निशान):	9.9.16.	ture of Officer in charge, Police Station प्रभारी के हस्ताक्षर)
15. Date and time of dispatch to the		Na	me(नाम): Vishanaram
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय)		Ra	nk (पद): SP (Superintendant of Police)
			(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen) (संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	ldentification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	20/03/1978				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

_anguage /Dialect		Others				
(भाषा /बोली)	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	(अन्य)
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused. (यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)